न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

न अधिकारी :– अन्जुम ताहिर सम्मा R.A.S. सिवाना

वाद सं. 110/2010

ण	ब नाम	प्रतिवादीगण
ाराम 2. कपूरा 3. छगना 4. भूरा पुत्रान 5. फुसा 6. चैना पुत्रान तोगा 7. फुसा रूपा 8.नरसीगा पुत्रान रूपा 9. मुकना पुत्र ा सभी जातियान माली निवासीयान ड़ा त. सिवाना		1. छोगा पुत्र मगना के का. मुकामात 1/1. खीमा पुत्र छोगा के का. मुकामात 1/1/1. हंजा1/1/2. दला पुत्रान खीमा 1/1/3. मृतक बुधा पुत्र खीमा के का मुकाम 1/1/3/1. जोगा 1/1/3/2.सता पुत्रान बुधा 1/1/3/3. श्रीमती पुन्नी बेवा बुधाराम 1/2.देरामा पुत्र छोगा के का. मुकाम 1/2/1. चौथा 1/2/2.मोहन 1/2/3.हस्तीमल 1/2/4. जगाराम 1/2/5. लालाराम 1/2/6. बाबुराम पुत्रान देरामा 2. सवा पुत्र मगना के का मुकाम 2/1. गोका पुत्र सवा के का. मुकाम 2/1/1. सुजा 2/1/2. चंपाराम पुत्रान गोका 2/1/3. पुखराज पुत्र गोका के का. मुकाम 2/1/3/1. अचलाराम पुत्र पुखराज 2/1/4. लुणा 2/1/5. गणपत 2/1/6. भगाराम पुत्रान गोका 2/2. तुलछा पुत्र सवा के का. मुकाम 2/2/1. मावाराम 2/2/2. बाबुलाल पुत्रान तुलछा 2/2/3. श्रीमती सुन्दर बेवा तुलछा 2/3. रामा पुत्र सवा 3. नाथा 4. शंकरा 5. पूंजा पुत्रान हीरा 6. मांगाराम 7.नवाराम 8.गीगा पुत्रान सरदारा 9. प्रभु 10.चुना 11. फोजा पुत्र गुमना सभी जातियान माली निवासीयान मिठौड़ा 12. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे शाखा पादरू 13. शाखा प्रबंधक थार आंचलिक ग्रामिण बैंक शाखा सिवाना 14. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमि–धारक तहसीलदार सिवाना

वाद हेतु घोषणा, अभिलेख सुधार, बंटवाड़ा, एवं स्थाई निषेधाझा

उपस्थित : 1. वादीगण की ओर से अचलाराम थोरी अधिवक्ता

दिनांक:–22.01.18

::निर्णय ::

वादीगण ने न्यायालय में वर्तमान वाद अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं, सरहद मौजा मीठोड़ा पटवार क्षेत्र मीठोड़ा तह. सिवाना की राजस्व सीमा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 12 की पैतृक सह–संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 699 रकबा 97 बीघा 07 विस्वा आया हुआ है, वक्त भू–प्रबन्ध वादग्रस्त कृषि भूमि का क्षेत्रफल 101 बीघा 07 विस्वा था, किन्तु 04 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 12 के द्वारा स्कुल हेतु अभ्यर्पित कर देने के बाद शेष मौजूदा रकबा 97 बीघा 07 विस्वा रहा, वादग्रस्त भूमि "झरड़े वालो पाहड़ को " के नाम से प्रसिद्ध है, में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2/3 के कामन एनसेस्टर स्वं मगना का 1/2 हिस्सा था, शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 3 ता 12 के कॉमन एनसेस्टर जाला का था, वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की स्थाई रहवास की ढाणिया बनी हुई है, और वक्त जागीर एवं भू–प्रबन्ध के समय से पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 12 अपने अपने हिस्सानुसार काबिज रहते हुए काश्त करते रहते रह रहे है, वाद–पत्र के

संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज खसरा बंदोबस्त से स्पष्ट है, कि सालिम वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वं मगना के तीनो ही पुत्रान् स्वं सालू, स्वं छोगा, स्वं सवा का सह–संयुक्त 1/2 हिस्सा था, अर्थात तीनो ही सहोदर भाई यो का 1/2 हिस्से की पैतृक आराजी में क्रमशः 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा था, अर्थात् सालिम वादग्रस्त कृषि भूमि में बराबर का क्रमशः 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा था, इसी प्रकार आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/1 ता 2/3 अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज रह कर मौके पर काश्त करते रहते रह रहे है, किन्तु भू–प्रबंध अधिकारियो कर्मचारीयो ने मनमाने तरीके से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अवैध व अनाधिकृति रूप से स्वं. सवाजी के वारिसान प्रतिवादी सं. 2, 2/1, 2/2/1, 2/2/2 व 2/2/3 व 2/2 अर्थात् गोकाराम, रामाराम, मावाराम, बाबूलाल, श्रीमती सुन्दर के 1/6 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया, इसी प्रकार स्वं छोगा के उतराधिकारीगण खीमाराम व देरामाराम की वल्दियत छोगाराम के स्थान पर गलत तौर से रूपाराम दर्ज कर प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया और वादीगण सभी के नाम राजस्व अभिलेख से मनमानी तरीके से एंकाकी कार्यवाही कर वादीगण को नैसर्गिक विधि के सुस्थापित सिद्धान्त की अनदेखी व अवहेलना कर सुनवाई का अवसर दियसे बिना ही उनके नाम राजस्व अभिलेख खतौनी से हटा दिया, भू–प्रबंध अधिकारीयो एवं कर्मचारियो द्वारा की गई उक्त कार्यवाही बिना क्षैत्राधिकार की होने से शुन्य है, तथा वादग्रस्त सह–संयुक्त अविभाजित कृषि भूमि में वादीगण सभी को स्वं मगनाजी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में 1/3 हिस्से अर्थात् सालिम वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/6 हिस्से बराबर 16 बीघा 05 विस्वा कृषि भूमि का काबिज खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर आवश्यक अमलदरामद किया जावे, प्रतिवादीगण 1/2 से 2/3 का हिस्सा जरीये अभिलेख सुधार दुरस्त किया जाकर आवश्यक सुधार की प्रविष्टिया दर्ज अंकित किये जाने के आदेश प्रदान कर उक्त भूमि का बंटवाड़ा किया जावे ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद कार्यालय रिपोर्ट दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया, तदोपरान्त प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावे पेश हुए।

प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2, 2/1 2/2/1, 2/2/2 व 2/3 ने जबावदावा पेश कर कथन किया कि, वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी सहसयुक्त अविभाजित कृषि भूमि नही रही, बल्कि खसरा सं. 699 क्षेत्रफल 97 बीघा 07 भूमि में प्रतिवादीसं. 3 से 8 व कोकू बेवा सरदारा जो फौत हो गयी है, व प्रतिवादी सं. 9, 10, 11 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है, खीमा व देरामा की वल्दियत गलती से जमाबंदी में छोगा की जगह रूपा दर्ज किया गया है, जिसमें शुद्धि पत्र हेतु अलग से कार्यवाही की जावेगी, वादीगण ने गलत सजरा पेश किया है, वादीगण खेत खसरा सं. 699 में कोई कब्जा काश्त नही है, अतः वादीगण का वादपत्र व्यय सहित खरिज फरमाया जावे, जबावदाववा पेश होने के बाद प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2, 2/1 2/2/1, 2/2/2 व 2/3 की ओर से न्यायालय में सुनवाई तारीखो पर कोई उपस्थित नही आने से उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 3 ता 8 व 10 ता 12 की ओर ने इकबाली जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि माफिक इस्तदुआ वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाता है, तो प्रतिवादीगण सं. . 3 ता 8 व 10 ता 12 को कोई एतराज नही है।

चुँकि प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/2, 2/1 2/2/1, 2/2/2 व 2/3 की ओर से जबावदावा पेश होने के उपरान्त न्यायालय में सुनवाई तारीखो पर कोई उपस्थित नही आने से उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा शेष प्रतिवादी सं. 3 ता 8 व 10 ता 12 की ओर ने इकबाली जबाव प्रस्तुत हुआ इसलिए तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रही।

वादीगण ने अपने वादपत्र को साबित करने हेतु वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पी.डब्लु–1 कपुराराम, पी.डब्लु–2 भवराराम, पी.डब्लु–3 आसुराम के बयान कलमबद्ध करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमांबन्दी, प्रदर्श–2 नक्शा, प्रदर्श–3 व 4 खसरा बन्दोबस्त प्रस्तुत किये,

हमने साक्ष्य समाप्त होने पर वादीगण के अधिवक्ता की बहस अंतिम सुनी ।

दौराने बहस वादीगण ने वादपत्र में व्यक्त आधारो दौहराकर कथन किया कि, वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 12 की पैतृक सह–संयुक्त

अविभाजित कृषि भूमि रही है, वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2/3 के कामन एनसेस्टर स्वं मगना का 1/2 हिस्सा था, शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 3 ता 12 के कॉमन एनसेस्टर जाला का था, वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की स्थाई रहवास की ढाणिया बनी हुई है, और वक्त जागीर एवं भू–प्रबन्ध के समय से पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 12 अपने अपने हिस्सानुसार काबिज रहते हुए काश्त करते रहते रह रहे है, उक्त सालिम वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण का बराबर का कमशः 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा है, इसी प्रकार आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/1 ता 2/3 अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज रह कर मौके पर काश्त करते रहते रह रहे है, किन्तु भू–प्रबंध अधिकारियो कर्मचारीयो ने मनमाने तरीके से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अवैध व अनाधिकृति रूप से स्वं. सवाजी के वारिसान प्रतिवादी सं. 2, 2/1, 2/2/1, 2/2/2 व 2/2/3 व 2/2 के 1/6 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया, इसी प्रकार स्वं छोगा के उतराधिकारीगण खीमाराम व देरामाराम की वल्दियत छोगाराम के स्थान पर गलत तौर से रूपाराम दर्ज कर प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है, माफिक इस्तदुआ वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जावे, वादीगण की साक्ष्य को एवं दस्तावेजात को नही मानने का कोई कारण विद्यमान नही है। भूमि वक्त सेटलमेंट से मिली है, उक्त तथ्य प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 से साबित है। उक्त दस्तावेज से यह तथ्य स्पष्ट है, कि भूमि पक्षकारो द्वारा खरीद किया हुआ नही है, अन्य भूमि जो प्रदर्श 4 में दर्ज है, उसमें सभी पक्षकारो का समान रूप से माफिक हिस्सा नाम दर्ज है।

हमने वादीगण की बहस अंतिम सुनी एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर हम इस नतीजे पर पहुचे है, कि वादीगण ने अपना वादपत्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम प्रदर्श 4 खसरा संख्या 689 मे खसरा बन्दोवस्त संवत् 2009 के कॉलम 7 में नाम दर्ज है, मात्र वादग्रस्त भूमि में वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज नही है, जबकि खसरा बन्दोवस्त संवत 2009 में खसरा संख्या 699 प्रदर्श 3 के कॉलम संख्या 7 में सरदारा हीरा पुत्र गुमना का 1/2 जाला चवा वल्द मंगना 1/6 खीमा देरामाराम पुत्र छोगा 1/6 रूपा मिसरा तोगा पिता सालू 1/6 कौम माली सा.देह अंकित है। वादीगण के वादपत्र को उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार स्वीकार करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जाती हैं कि मौजा मीठोड़ा के खेत खसरा संख्या 699 रकबा 97 बीघा 07 विस्वा में वादीगण को स्वं मगनाजी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में 1/3 हिस्से अर्थात् वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/6 हिस्से बराबर 16 बीघा 05 विस्वा कृषि भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर रेकर्ड दुरस्त किया जावे, रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 1/1/1 ता 1/2/6 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादीगण सं. 2/1/1 ता 2/3 का 1/6 हिस्सा जरीये दुरूस्ती दर्ज किया जावे। रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज अंकित करने के बाद विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस आवागमन के बिन्दु को ध्यान में रख कर भूमिधारक प्रस्तुत करें। उक्त डिक्री से प्रतिवादी सं. 3 ता 11 का रेकर्ड में दर्ज हिस्सा प्रभावित नही होगा (यानि उक्त सभी प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत सम्पुर्ण रकबे में 1/2 ही रहेगा)। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें । डिक्री पर्चा तैयार हो ।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 22.01.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'1)

दालत श्री सहायक कलक्टर SDO मुकाम सिवाना

ीन अधिकारी :– अन्जुम ताहिर सम्मा R.A.S. सिवाना

ाण बनाम प्रतिवादीगण

ाराम 2. कपूरा 3. छगना 4. भूरा पुत्रान 5. फुसा 6. चैना पुत्रान तोगा 7. फुसा रूपा 8.नरसीगा पुत्र रूपा 9. मुकनाराम पुत्र ा सभी जातियान माली निवासीयान ड़ा त. सिवाना

1. छोगा पुत्र मगना के का. मुकामात 1/1. खीमा पुत्र छोगा के का. मुकामात 1/1/1. हंजा 1/1/2. ढ़ला पुत्रान खीमा 1/1/3. मृतक बुधा पुत्र खीमा के का मुकाम 1/1/3/1. जोगा 1/1/3/2. सता पुत्रान बुधा 1/1/3/3. श्रीमती पुन्नी बेवा बुधाराम 1/2.देरामा पुत्र छोगा के का. मुकाम 1/2/1. चौथा 1/2/2.मोहन 1/2/3.हस्तीमल 1/2/4. जगाराम 1/2/5. लालाराम 1/2/6. बाबुराम पुत्रान देरामा 2. सवा पुत्र मगना के का मुकाम 2/1. गोका पुत्र सवा के का. मुकाम 2/1/1. सुजा 2/1/2. चंपाराम पुत्रान गोका 2/1/3. पुखराज पुत्र गोका के का. मुकाम 2/1/3/1. अचलाराम पुत्र पुखराज 2/1/4. लुणा 2/1/5. गणपत 2/1/6. भगाराम पुत्रान गोका 2/2. तुलछा पुत्र सवा के का. मुकाम 2/2/1. मावाराम 2/2/2. बाबुलाल पुत्रान तुलछा 2/2/3. श्रीमती सुन्दर बेवा तुलछा 2/3. रामा पुत्र सवा 3. नाथा 4. शंकरा 5. पूंजा पुत्रान हीरा 6. मांगाराम 7.नवाराम 8.गीगा पुत्रान सरदारा 9. प्रभु 10.चुना 11. फोजा पुत्र गुमना सभी जातियान माली निवासीयान मिठौड़ा 12. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे शाखा पादरू 13. शाखा प्रबंधक थार आंचलिक ग्रामिण बैंक शाखा सिवाना 14. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमि–धारक तहसीलदार सिवाना

<u>वाद हेतु घोषणा, अभिलेख सुधार, बंटवाड़ा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. राजस्व मूल वाद संख्या 110 सन् 2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे ब हाजरी वादीगण अधिवक्ता अचलाराम थोरी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर वादीगण का वाद स्वीकार कर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि– सरहद मौजा मिठोड़ा तह. सिवाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 699 रकबा 97 बीघा 07 विस्वा में वादीगण को स्वं मगनाजी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में 1/3 हिस्से अर्थात् वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/6 हिस्से बराबर 16 बीघा 05 विस्वा कृषि भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर रेकर्ड दुरस्त किया जावे, रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 1/1/1 ता 1/2/6 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादीगण सं. 2/1/1 ता 2/3 का 1/6 हिस्सा जरीये दुरूस्ती दर्ज किया जावे। रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज अंकित करने के बाद विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस आवागमन के बिन्दु को ध्यान में रख कर भूमिधारक प्रस्तुत करें। उक्त डिक्री से प्रतिवादी सं. 3 ता 11 का रेकर्ड में दर्ज हिस्सा प्रभावित नही होगा (यानि शेष सभी प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत सम्पुर्ण रकबे में 1/2 ही रहेगा)। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

दिनांक : - 22.01.18

कमांक: वाचक / 2018 / 94

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।
भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना ।

सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना